

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 22/10/2020

विषय— श्री संजय कुमार द्वारा बाँका जिलान्तर्गत संझा ग्राम के खाता संख्या-98 एवं खेसरा संख्या 221 में SH-19 भागलपुर-दुमका पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02895 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 989 दिनांक 02.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/44282/2020/4263, दिनांक 01.10.2020 द्वारा कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,29,862/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150627044282531, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.02.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52021020810115791 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- 3.(a) NPV के मद में मेरे द्वारा 0.02895 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 18,123/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150627044282531, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.02.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52021020810115791 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- (b) मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।

4. मेरे द्वारा क्षतिपूर्क वनरोपण एवं NPV की राशि को c-challan के माध्यम से फंडे ट्रांसफर कर Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 08.02.2021 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 640 दिनांक 09.07.2020 द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 10(a). इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
13. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।
अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,
Sanjay Kumar
22/10/2021
संजय कुमार,
पिता- फुलधारी यादव,
ग्राम+पो0 संझा, थाना-रजौन
जिला बाँका-813105

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका।

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका-813102, दूरभाष - 06424-222216
E-mail - divfobanka-bih@gov.in

प्रेषक,

पत्रांक- 979

राजीव रंजन, (माओवोसेओ)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :-

बांका, दिनांक- 27/07/2020

बांका जिलान्तर्गत संझा ग्राम के खाता संख्या-98, खेसरा संख्या-221, SH-19 भागलपुर-
दुमका पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण)
अधिनियम-1980 के तहत 0.02895 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रमाण-पत्र भेजने के
संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-FC/17/2020-106 दिनांक-31-01-2020 एवं जिला कल्याण
पदाधिकारी, बांका का पत्रांक-646/क० दिनांक-13-07-2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषयांकित FRA-2006
प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रेषित पत्र के
माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रमाण-पत्र E-mail के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
अतः अनुरोध है कि, विषयांकित FRA-2006 प्रमाण-पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक- 979

दिनांक- 27/07/2020

प्रतिलिपि-अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA
2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक—

28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या 640 दिनांक 09/07/20

प्रमाणित किया जाता है कि बाँका जिले में प्रयोक्ता एजेंसी **BPCL** द्वारा **रिटेल आउटलेट** स्थापित करने हेतु स्थान **SH-19 भागलपुर - दुमका** तक कुल **0.03860 कि०मी०** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.02895 हेक्टेयर** रकबा का अपयोजन (**Diversion**) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर **वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका** के पत्रांक—292, दिनांक—14.02.2020 द्वारा **FRA, 2006** प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक—**13.12.2005** के पूर्व **75** वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष **2001** एवं **2011** की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान— बाँका

तिथि—

जिला पदाधिकारी, बांका का
हस्ताक्षर एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as “forest” less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :

Dated :

District Magistrate
and Office Seal

2/6/2021

Commission. 42-20

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-02-2021

Agency Name.	SRI SANJAY KUMAR
Application No.	7044282531
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/44282/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o Sri Fuldhari Yadav AT&PO Sanjha PS Rajoun Banka
Amount(in Rs)	747985/-

Amount in Words : Seven Lakh Forty-Seven Thousand Nine Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150627044282531 Valid only for this amount
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Sanjay Kumar

7706 9534515295

SBINR52021020810115201

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, धोरैया (बांका)

e-mail:- eercddhoraiya@rediffmail.com

पत्रांक:- 185 (म.030)

धोरैया/दिनांक -18.03.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, धोरैया, बांका।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा, बांका।

विषय:-

पथ प्रमंडल, धोरैया अन्तर्गत भागलपुर-हंसडीहा पथ (SH-19) के चैनेज सं० 19.746 से 19.781 में मौजा संज्ञा, थाना नं०-336, खाता सं०-98, खसरा सं०-221, थाना रजौन में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:-

मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 268 (अनु०), दिनांक 04.03.2021

महाशय,

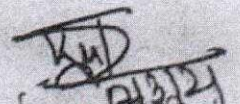
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में सूचित करना है कि पथ प्रमंडल, धोरैया अन्तर्गत भागलपुर-हंसडीहा पथ (SH-19) के चैनेज सं० 19.746 से 19.781 में मौजा संज्ञा, थाना नं०-336, खाता सं०-98, खसरा सं०-221, थाना रजौन में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 5 वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय पत्रांक 4770 (E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प सं०- 1921 (s) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- (1) भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (2) प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अनु०:- (1) प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की अनुमोदित नक्शा मूल में।

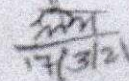
(2) प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल धोरैया, बांका


18/3/21

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-सीमांचल-आउटलेट-10-436-2021-278 (क)

दिनांक 4/8/21

सेवा में

मुख्य अभियंता
सीमांचल उपभाग
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल धोरखा
पथ निर्माण विभाग।

10/8/21

विषय:-

भागलपुर-हंसडीहा पथ (SH-19) के चैनज सं०-19.746 से 19.781, मौजा-संझा, थाना सं०-436, खाता सं०-98, खेसरा सं०-221, थाना-रजौन में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-83 (अनु०) दिनांक 11.02.2021

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में भागलपुर-हंसडीहा पथ (SH-19) के चैनज सं०-19.746 से 19.781, मौजा-संझा, थाना सं०-436, खाता सं०-98, खेसरा सं०-221, थाना-रजौन में भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल एवं डीजल का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक-24.08.2017) तथा सकल जामात दिनांक-08.09.2018 के आलोक में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

नोट:-मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

10/8/21

मुख्य अभियंता
सीमांचल उपभाग
पथ निर्माण विभाग, बिहार